# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

**पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.**

प्रकरण संख्या –13/2018 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2018/00064

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

*बनाम*

कालूलाल आत्मज धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी अरल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

## *निर्णय*

दिनांकः– 28 /08/2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी कालूलाल आत्मज धन्नालाल को ग्राम परल्या तहसील लाडपुरा के आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 257 की रकबा 0.41 हे0, खसरा नम्बर 258 की रकबा 0.01 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है । अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । आवंटी अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम परल्या तह0 लाडपुरा की खसरा नम्बर 256 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 257 की रकबा 0.41 हे0, खसरा नम्बर 258 की रकबा 0.01 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं की जा रही है तथा अन्य व्यक्तियों का कब्जा है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम परल्या तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 256 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 257 की रकबा 0.41 हे0, खसरा नम्बर 258 की रकबा 0.01 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह प्रार्थना

जिला कलक्टर
कोटा

पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से जाहिर है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम परल्या तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 257 की रकबा 0.41 हे0, खसरा नम्बर 258 की रकबा 0.01 हे0 भूमि पर आवंटी अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन पाया जाने के कारण अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा